

15/12/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 680]
No. 680]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 1995/अग्रहायण 14, 1917
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 1995/AGRAHAYANA 14, 1917

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1995

का० आ० 957 (अ) :—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा यह निदेश देते हैं कि अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप एवं पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे वे उप-राज्यपाल या मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक के रूप में कार्यरत हों) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और आगामी आदेशों तक, अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में केबल टेलीविजन नैटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की और धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 18 व 19 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे।

[सं० यू-11030/2/95-यू०टी०एल०]

आर० आर० शाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1995

S.O. 957 (E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator (whether called a Lieutenant-Governor or a Chief Commissioner or an Administrator) of the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, the National Capital Territory of Delhi, Lakshadweep and Pondicherry shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the Central Government and the State Government under sub-section (1) of section 11 and sections 18 and 19 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), in relation to the respective Union Territories.

[No. U-11030/2/95-UTL]

R.R. SHAH, Jt. Secy.